न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा–धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 96/24
व.मु. उनवान

भिक्कू पुत्र देव सिंह जाति धोबी निवासी हथवारी हाल निवासी सी 102 सी ब्लॉक फेस 2 विजय विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली 110085

..........................वादी

बनाम

1. महेश, 2. सतीश, 3. सुरेश पि0 पीतम
4. मुन्नी पुत्री पीतम
5. सावित्री पत्नी पीतम
6. सोरन सिंह, 7. रामसेवक पि0 देवलाल
8. गुड्डी पुत्री देवलाल
9. दुलारी पत्नी देवलाल
10. अतिवल, 11. धधिवल मेवाराम
12. अंगद पुत्र नरायन सिंह

(1 से 12) जाति खटीक निवासी हथवारी तहसील राजाखेडा

13. जयप्रकाश पुत्र रामसिंह जाति जाटव नि0 हथवारी तहसील राजाखेडा
14. रविन्द्र उर्फ साधु पुत्र पीतम सिह
15. रमेश पुत्र दौलतराम
16. मोनू, 17. रोनू, 18. गम्भीर पि0 जगदीश
19. सोनू, 20. बन्धना पुत्रीयान जगदीश
21. मोहरश्री पत्नी जगदीश

(15 से 21) जाति खटीक निवासी हथवारी तह0 राजाखेडा

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजाखेडा
23. तहसीलदार राजाखेडा

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा * जिला–धौलपुर (राज.))

......................प्रतिवादीगण

दावाः– वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 27.06.2025

प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ख.न. 461 रकवा 0.4806 है0, 465 रकवा 0.2403 है0, 466 रकवा 0.3162 है0 विवादित आराजी स्थित ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 21 की संयुक्त खातेदारी काश्त की आराजी है जिसमें वादी का संयुक्त रूप से हिस्सा है इसी हैसियत से काबिज होकर काश्त एवं फसल का लाभ प्राप्त करता आ रहा है। उपरोक्त विवादित आराजी का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ किन्तु अब आकर प्रतिवादीगण संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने लगे इसलिए प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादीगण आये दिन कीमती पार्ट को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं वादी को विवादित आराजी से बेदखल

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

करने की धमकी देते रहते हैं। आज से एक माह पूर्व का वाक्या है वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 21 से विवादित आराजी का विभाजन हिस्सा व कब्जानुसार /बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कर खाता एवं लगान पृथक–पृथक करने की कहा तो प्रतिवादीगण एकराय होकर बोले कि हम अपने जीते–जी विवादित आराजी का विभाजन नहीं होने देंगें बल्कि विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करेंगें। वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर देंगें। अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी का बटवारा हिस्सा व कब्जानुसार /बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कर खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जाकर वादी को वाकई काबिज कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा 22 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं आए अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की प्रार्थना पर वादी का वाद दिनांक 10.03.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार राजाखेडा से पत्र दिनांक 23.05.2025 से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिन पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि तहसीलदार राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जावे।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस वादी पर मनन किया। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी आराजी का अभिलिखित सह खातेदार है व स्वयं की आराजी का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है। अतः बाद गौर बहस व अवलोकन कुर्रेजात वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्न तालिका अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगा 21 के मध्य विवादित आराजी ख.न. 461 रकवा 0.4806 है0, 465 रकवा 0.2403 है0, 466 रकवा 0.3162 है0 स्थित ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर का विभाजन कर पृथक–पृथक खाते व लगान कायम करने के आदेश दिए जाते है ।

क्र0 स0	नाम खातेदार	ख0न0	रकवा	किस्म	लगान	वि.वि.
1	भिक्कू पुत्र देव सिंह हि0 पूर्ण जाति धोबी सा0 देह खातेदार	461 465/1	0.4806 0.03979	बा0प्र0 बा0प्र0	0.22 0.02	— दक्षिण
	योग	**किता–2**	**0.5185**	—	**0.24**	—
2	अंगद पुत्र नारायन सिंह हि0 1/4, जाति खटीक सा.देह खातेदार , अतिवल, दधिवल पुत्रान मेवाराम हि0 बरा 1/4 जाति खटीक, सा0देह खातेदार , रामसेवक, सोरन पुत्रान गुड्डी पुत्री, दुलारी पत्नि देवलाल हि0 बरा0 1/12, जाति खटीक सा0 देह खातेदारः रमेश पुत्र दोलतराम हि0 1/24 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, जगदीश पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/24 जाति खटीक सा0 देह	465/2 466	0.2024 0.3162	बा0प्र0 बा0प्र0	0.09 0.14	उत्तर —

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा * जिला–धौलपुर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा (धौलपुर)

	खातेदार, महेश, सतीश, सुरेश पुत्रान मुन्नी पुत्री, सावित्री पत्नी पीतम सिह, रविन्द्र उर्फ साधु पुत्र पीतम सिंह हि0 बरा0 1/12 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, जयप्रकाश पुत्र रामसिंह हि0 1/4, जाति जाटव राहिन हि0 1/4, (पूर्ण खाता) पी0एन0बी0 राजाखेडा सा0 देह खातेदार					
	योग	किता–2	0.5186	—	0.23	—

रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार राजाखेडा को लिखा जावे । कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 23.05.2025 इस अंतिम डिकी का अभिन्न अंग समझा जावेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/25

वर्षा मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा * जिला–धौलपुर (राज.) *

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा–धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 96/24
व.मु. उनवान

भिक्कू पुत्र देव सिंह निवासी हथवारी हाल निवासी सी 102 सी ब्लॉक फेस 2 विजय विहार नोर्थ वेस्ट दिल्ली 110085
...........................वादी

बनाम

1. महेश ⎤
2. सतीश ⎥ पि0 पीतम
3. सुरेश ⎦
4. मुन्नी पुत्री पीतम
5. सावित्री पत्नी पीतम
6. सोरन सिंह ⎤
7. रामसेवक ⎦ पि0 देवलाल
8. गुड्डी पुत्री देवलाल
9. दुलारी पत्नी देवलाल
10. अतिवल ⎤ मेवाराम
11. धधिवल ⎦
12. अंगद पुत्र नरायन सिंह

(1 से 12 तक) जाति खटीक निवासी हथवारी तहसील राजाखेड़ा

13. जयप्रकाश पुत्र रामसिंह जाति जाटव नि0 हथवारी तहसील राजाखेड़ा
14. रविन्द्र उर्फ साधु पुत्र पीतम सिह
15. रमेश पुत्र दौलतराम
16. मोनू ⎤
17. रोनू ⎥ पि0 जगदीश
18. गम्भीर ⎦
19. सोनू ⎤ पि0 जगदीश
20. बन्धना ⎦
21. मोहरश्री पत्नी जगदीश

(14 से 21 तक) जाति खटीक निवासी हथवारी तह0 राजाखेड़ा

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजाखेड़ा
23. तहसीलदार राजाखेड़ा

........................प्रतिवादीगण

दावा:– वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट0

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अन्तिम रूप से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क्र0 स0	नाम खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1	भिक्कू पुत्र देव सिंह हि0 पूर्ण जाति धोबी सा0 देह खातेदार	461 465/1	0.4806 0.03979	बा0प्र0 बा0प्र0	0.22 0.02	– दक्षिण

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा, जिला–धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

	योग	किता–2	0.5185	—	0.24	—
2	अंगद पुत्र नारायन सिंह हि0 1/4, जाति खटीक सा.देह खातेदार , अतिवल, दधिवल पुत्रान मेवाराम हि0 बरा 1/4 जाति खटीक, सा0देह खातेदार , रामसेवक, सोरन पुत्रान गुड्डी पुत्री, दुलारी पत्नि देवलाल हि0 बरा0 1/12, जाति खटीक सा0 देह खातेदारः रमेश पुत्र दौलतराम हि0 1/24 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, जगदीश पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/24 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, महेश, सतीश, सुरेश पुत्रान मुन्नी पुत्री, सावित्री पत्नी पीतम सिह, रविन्द्र उर्फ साधु पुत्र पीतम सिंह हि0 बरा0 1/12 जाति खटीक सा0 देह खातेदार, जयप्रकाश पुत्र रामसिंह हि0 1/4, जाति जाटव राहिन हि0 1/4, (पूर्ण खाता) पी0एन0बी0 राजाखेडा सा0 देह खातेदार	465/2 466	0.2024 0.3162	बा0प्र0 बा0प्र0	0.09 0.14	उत्तर —
	योग	किता–2	0.5186	—	0.23	—

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। पर्चा डिकी पृथक से तैयार की गई।

यह पर्चा डिकी मेरे द्वारा आज दिनांक 27.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/25

वर्षा मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा * जिला–धौलपुर